संख्या– 466 / माध्यमिक / 2003

ANNEXURE-1

प्रेषक,

जे0 पी0 जोशी,
अनु सचिव ,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र – 2
समुदाय केन्द्र ,प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून: दिनॉक 26. जून , 2003

विषय:– दून पब्लिक स्कूल , ग्रीन कालौनी ,रामपुर चुंगी ,रुडकी (हरिद्वार) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण– पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दून पब्लिक स्कूल , ग्रीन कालौनी ,रामपुर चुंगी ,रुडकी (हरिद्वार) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनूसूचित जाति/ अनूसूचित जन जाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तरॉचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा ।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ,नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेंगे।

5– संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरुप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

Zaheer Ahmed
Principal
Doon Public School
Green Colony, Rampur Chungi
Roorkee-247 667 (Haridwar)

Principal
Doon Public School
Green Colony, Rampur Chungi
Roorkee-247 667 (Haridwar)

क्रमश:–2–

Scanned with CamScanner

9– उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2– प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि :–

(1) विद्यालय के समीप अन्य विद्यालयों को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

(2) एक वर्ष के भीतर अप्रशिक्षित अध्यापक को प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये जाने अथवा उसके स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति कर ली जायेगी ।

(3) शिक्षक एवं कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते राज्य सरकार के समान प्रदान किये जायेगें ।

(4) कक्षा कक्ष निर्धारित माप के तैयार कर लिये जायेगें ।

(5)उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(जे0 पी0 जोशी)
अनु सचिव।

संख्याः– 466 (1)/माध्यमिक/2003–तददिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा,उत्तरांचल,देहरादून ।
2–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक , गढवाल मण्डल, पौडी ।
3–जिला विद्यालय निरीक्षक, हरिद्वार ।
4–प्रबन्धक, दून पब्लिक स्कूल , ग्रीन कालौनी ,रामपुर चुंगी ,रुडकी (हरिद्वार) ।
5–अनुभागीय पुस्तिका।

Zaheek Ahmed
Manager
Doon Public School
Green C... Rampur Chungi
Roo... (Haridwar)

Principal
Doon Public School
Green Colony, Rampur Chungi
Roorkee-247 667 (Haridwar)

Principal
Doon Public School
Green Colony, Rampur Chungi
Roorkee-247 667 (Haridwar)

आज्ञा से,

(जे0 पी0जोशी)
अनु सचिव।